राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर)
क्रमांक : एफ13(डब्ल्यू.डी.टी./डब्ल्यू.सी.)/निजभूस/IWMP-VII/2012/1054 दिनांक: 29-01-2013

कार्यालय आदेश

आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत जलग्रहण विकास दल सदस्यों के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में एकरूपता रखने के उददेश्य से परियोजना प्रबन्धक (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) जिला परिषद के स्तर पर निम्नानुसार अंक निर्धारित कर मैरिट तैयार की जायेगी :-

क्र. सं.	विवरण	अंक	विशेष विवरण
1	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	50 प्रतिशत वैटेज	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत गणना कर अंक दिये जावें। (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक पर 35 अंक दिये जावें)।
2	संबंधित विषय में अतिरिक्त योग्यता	10	अभियांत्रिकी, पशुपालन हेतु डिग्रीधारी को 5 अंक एवं स्नातकोत्तर को 10 अंक दिये जावें।, कृषि विषय हेतु स्नातकोत्तर को 10 अंक दिये जावें एवं सामाजिक विज्ञानी हेतु एम.ए.(समाज शास्त्र) को 5 अंक एवं एम.एस.डब्ल्यू./एम.बी.ए. को 10 अंक दिये जावें।
3	ओ लेवल या इससे उच्च कम्प्यूटर योग्यता	5	
4	स्थानीय निवासी	10	जिले का निवासी होने पर 5 अंक एवं पंचायत समिति का निवासी होने पर अतिरिक्त 5 अंक दिये जावें।
5	जलग्रहण विकास दल के रूप में अनुभव	15	3 वर्ष से अधिक के अनुभव पर 15 अंक, 2 से 3 वर्ष के अनुभव पर 10 अंक एवं 1 से 2 वर्ष के अनुभव पर 5 अंक दिये जावें।
6	साक्षात्कार	10	

1. उपर्युक्त आधार पर आवेदकों को अंक देने, साक्षात्कार एवं जलग्रहण विकास दल सदस्यों के चयन हेतु जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्धक की अध्यक्षता में सम्बन्धित विषयों यथा कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की समिति गठित की जायेगी। उक्त कार्यवाही/चयन की प्रकिया पूर्ण करने हेतु कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. पूर्व में क्रियान्वित की जा रही जलग्रहण विकास परियोजनाओं में कार्यरत जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के आवेदनों पर, पूर्व में क्रियान्वित की जा रही जलग्रहण परियोजनाओं के पूर्ण होने तक विचार नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक पूर्व की परियोजनाओं में दंडित/आरोपित रहा है तो उसके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावें।
4. परियोजना प्रबन्धक से योग्य अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त होने पर, पी.आई.ए. द्वारा परियोजना हेतु जलग्रहण विकास दल का गठन किया जायेगा।

other

5. जलग्रहण विकास दल सदस्यों को किसी भी कार्य का निर्धारण करने से पूर्व पी.आई.ए. एवं डब्ल्यू.डी.टी. सदस्यों के मध्य वार्षिक कन्सलटेन्सी अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाया जाने के पश्चात ही कार्य का निर्धारण किया जावें।
7. जलग्रहण विकास दल का पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण पी.आई.ए. के पास रहेगा एवं पी.आई.ए. द्वारा इनकी गतिविधियों का निर्धारण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।
8. परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक जलग्रहण विकास दल सदस्य को कम से कम 20 दिवस भ्रमण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित मापदण्ड से कम दिवस भ्रमण होंगे तो पी.आई.ए. इन सदस्यों के मानदेय से आनुपातिक रूप से राशि काटने हेतु स्वतन्त्र होगी।

उक्त आदेश श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष एस.एल.एन.ए. के स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

क्रमांक : एफ13(डब्ल्यू.डी.टी./डब्ल्यू.सी.)/निजभूस/IWMP-VII/2012/1054-1334 दिनांक: 29/01/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।:-

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, (आई.डब्ल्यू.एम.पी./प्रशासन)
5. समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
6. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक, निदेशालय जयपुर।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू-संसा.), जिला परिषद।
9. समस्त पी.आई.ए. पंचायत समिति।
10. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक